भारत का राजपंत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

373

#### नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002) है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती को पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि ---- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

- ars 3(i)]

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

		5	
मन	T	चा	

				2.0		Same and the second
पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सेवा में जोड़े गए
	1		INFR.	आधार पर	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	वर्षों का फायदा
				चयन या चयन-	ि २९५ - व्युक्त के हम्मी कई	अनुज्ञेय है या 🖉 👘
				सह-ज्येष्ठता	ि महासह के बिहा के बिहा में सिंह के बिहा	्रानहीं (१९
				अथवा अचयन	स्तरण विद्या या विद्यालय वा	के में अध्यक्षी
				पद कि	रताम आकृत्वता च हत्। जन्म ज्याकृत्वता च हत्।	ni quittiniy 40. N dense actor in
1	2	3	4	<b>5</b> p	ten i 6 trouverspiratel set	environ (17 2) (497)
भाचार्य (जैव	01*(2002)		18600-500-	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय	नहीं दि
सायन)	*कार्यभार	सेवा समूह 'क'	22100 रु. और केवल		सरकार तम जामे किए गए	$\sim$
	के आधार पर परिवर्तन	<sup>क</sup> राजपत्रित	आर्यावीज्ञान	1.06,26,	सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के	instant thesi (i) ty
	किया जा	अननुसचिवीय	स्नातकों के लिए		अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल	STUD- and PTL)
	जा सकता		प्रैक्टिस-बंदी	kur el en en el Rea d'astr	की जा सकती है।	and an and a second a second as
	atio		भत्ता		टिप्पण 1: आयु-सीमा अवध	ारित
					करने के लिए निर्णायक तारी	
				প্ৰমানিয়া	भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्रा	प्त । मेंग्रेडी ल 📝 .
				a de la	करने के लिए नियत की गई अंति	तम्बाईोऽव्हा 🧳 🧳
					तारीख होगी। (न कि वह अंति	म 🖅 🎢 हरी।
					and the second	

[PART II\_SEC. 3(i)]

# THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

	<u> 90 जननभू</u>		6	Thect pro	
<b>दारा प्रदत्त शक्तियों</b> के प्रयोग कारले हुए। याग्वारी आश्वार्थहरू	के परनुक त	१०१ इर्डन्त्रासीख	जो इअसम्रोह इमे	घालय, .नी.ाक	.715
सामन) और ज्येप्य प्राध्यापक ( तेल त्युत्रमंत्र) के पहने पर गत	चार्य (जेव र	गण्उस्थायन), उपा	वल प्रदश, ामजारम,	माणपुरामह गांत	महाविद्यालय व
	15119	RE 8 51-1 नामाले	ड, त्रिपुरा, सिक्किम	नयमन कूम्मल,	पदांत का विनि
कारी आतुर्विजन महाविद्यालय और आस्पताल, वंखन्नह, आवाह पुरु 'क' राजापत्रित पर) भर्ती निषय, 2002 हैं।	के साम का	क्रमी देने निरम्मी का फो	र राज्य के लदाख	संक्रिप्त' नाम अ	.1
The builden only state from some we all the state	er) / mener	हिमाचर	न प्रदेश के लाहौल अ	, उपाचार ( जेव	(जैव रसायन)
14 7007 Set of the Over Over Definition of all	in a state for	जिले र	तथा चम्बा-जिले व	के पांगी	
			अंदमान और निकोब	बार द्वीप	
दिष्ट पदी को लागू होंगे।	में यथातिनि		क्षद्वीप के अभ्यर्थियों		
नका वमीकरण और उसका पेलसमान सह गांधा, जो एन नियमते ह	ी संख्या, उर	म जान त्वहित	कारण अर्डि हेम कि	गर संख्या, वर्गी	3, 1
		12 440	निश्वार्ग मंगैरमआय	चि के स्वाह है।	उपाबद अनुस्
पद पर भर्ती को फहति, आयु-ओमा, आईताएं ओर उनसे संचोधन	ter - and	জর্চনাও নার্ড নালরার চনার	तों वाले ज्येष्ठ प्राध प्राधान-ज्युहर्ग	व्यापको कि किम	4.
Help in the street of the street of the street in the street of the stre	भित्र थे गा	उपाचार ती में का प्रयोग में,	र्गे और आचार्यों की स्टब्स्टर के लिप्तिस्ट	श्रेणा में तर्हाहर कि गिंग	अन्य बातें वे ह
	1.0 0-211.0	হিমি হা	की संख्या इन श्रे	णियों में	a
		पदों क	ती कुल संख्या के	ेपचास"	
हैं, विवाह कि म-डे, म	घल्मी जीवित	किएमोर या जिसकी	सं अधिक नहीं होग	(क) जिसनाग	
ो व्यक्ति से विवाह किला है, तो पि स्वर्क्षकों के विवाह	हते हुए किस	ग्रम्भुभिक जीवित र	1-3 : <sub>1</sub> आचार्य <sub>ि</sub> के	पदग्रको (छ)	
		विभागा	ध्यक्ष के रूप में प्र तिर्मा में केवल मान	दाभिहित हाए कि कोष्ट्र	ज्स पद पर नि
and the second se		होने क	ो दशा में केवल मान	यताप्राप्त प्रत्याप्रदर्भ सीम ह	έτσ
रेसे व्यक्ति ऑस विवाह के अन्त्र प्रथकृत को लागू स्तीय हिंतत ज	एसा विवाह र	का न किल्विले अ	मायुर्विज्ञान डिग्री अ	रहता या भाष	गण मधीन सन्दर्भग
इस नियम के प्रयतेन प्र प्रतः । जनगो ।	त व्यावत का	समतुल	य अहेता वाले शिष	अको को या 9	Pistic The
					2
क ऐसा करना आवश्यक या प्रगोर्जीन हे, चहा वहा उसके हे ल जे	यह राय हे हि	के प्राकृतम् की सरकार को	पर नियुक्त किया उ	नाएगाक लिक्षादा	.0 <del>2.2017 2.001</del> 11
किस्तरिय के विवर प्राप्त के स्वर्थन के स्वरूपित सितने के विवर्षने हैं। धे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	हारप्र के म सीधे भ मि मा <sup>न्</sup> व्यक्ति	प्रती किए जाने वाले यों के लिए विहित उ	ार संघ लाक सवा आ का राकेगी । क्रिकिरीप नियमी की कोईप्रास - समय का जिलको	खबद्ध करक अ घोष्ट्र प्रिकिल घोष्ट्र धोकर कि व्यावृत्ति .— इन र संबंध में सपर	गरेण हे उन्हे ल तो बाळ <u>ा, जाते</u> <b>ति होत हेलि</b> र ग
किस्तारेण के विवय प्राणित के देवते के दिल्लान कि विवयने हैं। धे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	हारप्र के म सीधे भ मि मा <sup>न्</sup> व्यक्ति	र्ता किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्नव यों की दशा में लागू	स संघ लाक सवा अ का <u>चकेगो ।</u> क्रि <b>किरिप्</b> नियमों की कोई <mark>स्</mark> व	खबद्ध करक अ घोष्ट्र प्रिकिल घोष्ट्र धोकर कि व्यावृत्ति .— इन र संबंध में सपर	भारण हे उन्हे ल ने बाखन, कार्ट <b>वि होत है</b> र म रकार द्वारा इस्
हित्र संप्रमा का प्रमान करवा का श्राहर आका का प्रियम हुए वे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित इस और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि अर्ह्या प्रतान का किया का किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र	होरप्रे के मि सीधे भ मि मि विमिहा और शै विमिहा और शै होंगी य	की लिए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्नव यों की दशा में लागू ा नहीं	ार सघ लाक सवा अ कर चुकेगी । फ्रि <b>मिप्रि</b> नियमों की कोई <mark>फ्र</mark> ार न्समय पर जिकस् <mark>रे</mark> के व्यक्तियों के लिए	खबद्ध करक अ घोष्ट्र प्रिकिल घोष्ट्र धोकर कि व्यावृत्ति .— इन र संबंध में सपर	भरण ह उन्ह ल भी बाब्द <u>ा, जा</u> द <b>ा इ इंकि</b> 7, 1 रिका द्वारा इस् ानिकों और अ
हमारिक स प्रमुख प्राप्त करता के इन्हार उम्मय करता में प्रथमित वे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित संक और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि जात के द्वारा के किस कर करता के करता के कि कि का कि	म के परचात सीधे भ व्यक्ति मिर्मे के पि व्यक्ति दोगद्वता के	क हामफ़ क लाम तों किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू ग नहीं 9लामनक	भ सप लाक सवा आ का सकेगी जियमों की कोई होत - समय पर लिकाल के व्यक्तियों के लिग वर्गीकरण	থেৰেও কাক আ হা বাগ থিকিল আকুলি .— হন ল বিষ্ঠাৰ মুবৰ্গ মুবুঁ কী0া	भरण ह उन्ह ल भी बाल्यन, जात 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न
हम नियमी के किस उपकृष के किस मांग प्रमाप प्रमाप के पित्र वे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित किस और अन्य अर्हताएं किस आर प्रमाय के किस जान के किस मांग के किस मांग प्रमाय मांग के लिए जाने काल के लिए जाने किस के रुपा के लिए जाने के लिए जाने के लिए जाने किस	म के परचात सीधे भ व्यक्ति मिर्में व्यक्ति होगिय संगयता के अप्र प्राय्ता के	क लागप्रम क गणप र्यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू ग नहीं 9लागपार नहीं	भ सघ लाक सवा अ कर सकेगो । जियमों को कोई प्रम - समय पर तिकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण <b>उम धीम्रि</b>	ধ্বিৰে কাক অ হাঁচ ,প্ৰহান ছিলি আজুলি . — इन আজুলি . — इन ন্য বিশ্বাপ যুৱগ যুৱু কী0া আজু লৈটে যুৱা নী	भरण ह उन्ह ल भे बालन, जाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
किस्पार्थ विषय प्राप्त वर्त्वा के स्वलग्ध किस के मिफने हुए वे भर्ती किस् जाने वाले व्यक्तियों के लिस् अपेक्षित तक और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि किस किस के किस किस किस किस किस कि कि किस कि किस किस किस किस कि कि किस कि किस कि किस कि के मिक कि किस कि कि कि कि कि कि के कि कि के कि कि के कि	हारप्रय के मि सीधे भ मि मिव्यिक्ति मिम्रि और शै देव्यक्ति होगी य के तिहारमि मार मार्गआयु : का मि निशैक्षिव	क्ति आगम के लिए त्रों किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू गहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा आ का मुकेगी जियमों की को फुमि - समय पर निकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण प्राफी की	खबढ़ करक अ के दाग घिकिन व्यावृत्ति	गरण ह उन्ह ल जो बालन, जात 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8
मिस्टीय के विषय प्राप्त करता के स्टक्रिट किसा के मिस्टन हुए 4 भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित इक और अन्य अर्हताएं को किस के किस्टान के किस हिंद के किस किस किस किस प्राप्त के किस किस किस वश्यकाः कि एक एसके एसक प्राप्त किस किस क (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 क 102) की अनसची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व-	होस्टरम् के म सीधे भ मिन्द्रियक्ति मिन्द्र और श् देव्यक्ति होगी य के लहम्म प्रम् अस्आयु : काम्स् में शैक्षिक	र्गती किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू वा नहीं 9लाननाई नहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा आ क मुकेगी फ्रिमियों की को फूमि - समय पर निकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण प्रम धीम्र प्राजी की	खबढ़ करक अ जे होग जिलि म व्यावृत्ति . — इन यावृत्ति . — इन स्वंध में सपय स्वंध में सपय जाव निष्ट ग्रवी । येव कप्	गरण ह उन्ह ल जि बालन, जात 7 7 7 7 7 7 7 7 7 वा हारा इस द का नाम फित्रकीष्ठ ह
मित्रा का विषय प्राणि करना का स्टावर सका का निर्मान गए 4 भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित क और अन्य अर्हताएं क और अन्य अर्हताएं क आता का कहिताएं क कि किए प्राणि कि किए प्राणि निर्मान कि क कि किए प्राणि कि कि कि निर्मान कि क कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 क (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956) क (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिन क के हिल्ला आयुर्विज्ञान म स्वत्र का क्रिये प्रायम आयुर्विज्ञान क क्रिये क्रिये प्रायम आयुर्विज्ञान क्रिये क्	सीधे भ सीधे भ मिन्द्रवित मिन्द्र और शै व्यक्ति होंगी य के लागज मान्द्र मिश्रीक्षिव काम्द्र मे श्रीक्षिव काम्द्र मे श्रीक्षिव मान्द्र मन्द्र	र्गती किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू वा नहीं 9लाननाई नहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा आ क मुकेगी फ्रिमियों की को फूमि - समय पर निकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण प्रम धीम्र प्राजी की	खबढ़ करक अ जे होग जिलि म व्यावृत्ति . — इन यावृत्ति . — इन स्वंध में सपय स्वंध में सपय जाव निष्ट ग्रवी । येव कप्	भरण ६ उन्ह ल भाषन, जात 7, ३ 7, ३ 7, ३ 7, ३ 7, ३ 7, ३ 7, ३ 7, ३
मित्री किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के और अन्य अर्हताएं कि कार कर क्रिनिम्स कि क्रिक्त कि क्रिक्त कि क्रिक्त क्रियकाः कि लिप क्रिक्त कि क्रिक्त कि क्रिक्त क्रियकाः कि लिप क्रिक्त कि क्रिक्त कि क्रियकाः कि लिप क्रिक्त क्रियकाः कि लिप क्रिक्त क्रियकाः कि लिप क्रिक्त क्रियकाः कि लिप क्रिक्त क्रियकाः कि जिस्ती राज्य आयुर्विज्ञ रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीय	सीधे भ सीधे भ मिन्द्रवित मिन्द्र और शै व्यक्ति होंगी य के लागज मान्द्र मिश्रीक्षिव काम्द्र मे श्रीक्षिव काम्द्र मे श्रीक्षिव मान्द्र मन्द्र	र्गती किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू वा नहीं 9लाननाई नहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा आ क मुकेगी फ्रिमियों की को फूमि - समय पर निकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण प्रम धीम्र प्राजी की	खबढ़ करक अ जे होग जिलि म व्यावृत्ति . — इन यावृत्ति . — इन स्वंध में सपय स्वंध में सपय जाव निष्ट ग्रवी । येव कप्	गरण ह उन्ह ल जी बालन, जात 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1
मित्रा कि प्रजाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि कार कि मार्ग्स के लिए अपेक्षित कि और अन्य अर्हताएं कि कार कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि के जुम्सूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व– विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीव होना चाहिए।	होगप्राय के म सीधे भ मिन्द्रियक्ति मिन्द्र और श्रे देव्यक्ति होगी य के लागप्राय प्राय्त्र आयुः काम मिन्द्र कृत प्राय	र्गती किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू वा नहीं 9लाननाई नहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा आ क मुकेगी फ्रिमियों की को फूमि - समय पर निकाल के व्यक्तियों के लिए वर्गीकरण प्रम धीम्र प्राजी की	खबढ़ करक अ जे होग जिलि म व्यावृत्ति . — इन यावृत्ति . — इन स्वंध में सपय स्वंध में सपय जाव निष्ट ग्रवी । येव कप्	गरण ह उन्ह ल जी बालन, जात 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 7, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1, न 1
मित्र किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 के (i) भारतीय आयुर्विज्ञान राज्य आयुर्विज्ञ राजस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान राजस्टर में राजस्ट्रीक होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (ज	सीधे भ सीधे भ मिन्द्र्यक्ति गिर्मा व्यक्ति गिर्मा के व्यक्ति होगी य के लाग हो मिन्ह हो हो मिन्ह हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो	क हामफ्र क लिए तों किए जाने वाले यों के लिए विहित उ क्षिक अर्हताएं प्रोन्न यों की दशा में लागू यों की दशा में लागू ते कहीं 5 अर्हताएं : हां	भ सप लाक सवा अ कर सकेगो । फ्रि <b>किप्रि</b> वियमों की को <mark>फ्रिस्</mark> - समय पर निकर्ष् <mark>त</mark> के व्यक्तियों के लिप <b>उग्म धींफ्र</b> <b>ग्रजी र्क</b> 3 3	ধ্বিৰেও কাক আ হাঁচ ,প্ৰজ দিল আবৃদি .— इन আবৃদি .— इन ল বিয়াৰ দাম্য বুৱা কী01 যুৱা কী01 । ফ্লি ফ্লি ফু । ফ্লি ক্য	गरण ६ उन्ह ल जी बालन, जात <b>13 इति 7</b> 7, 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 1 1 5 1 5 5 6 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
<ul> <li>किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>के और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि कि क</li></ul>	सीधे भ सीधे भ मियवित मियन् और शै व्यक्ति होगी य के काम्प्र होगी य के काम्प्र होगी य के काम्प्र हो काम्प्र हो काम्प्र हो काम्प्र हो हो के व का का हो हो के व हो हो के के के हो के हो के के के हो के हो के के के का के के का का का का के के के का का के के के के के के के के के के के के के	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	भ सप लाक सवा आ कर सकेगो जियमों की को <mark>फूमि</mark> - समय पर विकाले के व्यक्तियों के लिए जाजि र्ह ग्राजी र्ह याजी र्ह साधारण केन्द्रीय	।खबढ़ करक अ इस दाग घिषिक व्यावृत्ति — इन व्यावृत्ति — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदो की0 । येव कप्र । येव कप्र 2 01*(2002)	गरण ह उन्ह ल जे बाजन, जात 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
अभूती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के भूती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि का कि प्रस्तान के किए प्रस्तान के कि कि कि कि कि कि कि प्रस्तान के कि कि कि कि कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 कि (1) भारतीय आयुर्विज्ञान राजस्टर में राजस्ट्रीक त्वद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ राजस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान राजस्टर में राजस्ट्रीक होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (ज रसायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) सी एम.बी.बी.एस. या समतुल्य।	हारप्रय के म सीधे भ मियवित नीय र और शै व्यक्ति हिंगी य के ाठायमंग् मा प्राय्जायु : का श्रीक्षिव उप्रय क्ष हो स्वार्थ के व हिं तु मार्ज	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	भ सप लाक सवा आ क उकेगो नियमों की को <mark>छुमि</mark> नियमों की को <mark>छुमि</mark> के व्यक्तियों के लिए के व्यक्तियों के लिए आर्थ क्रि ग्रिज र्क याधारण केन्द्रीय सेवा समुद्र	।खबढ़ करक आ इति ,धीकर कि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदों की01 पदों की01 । ग्रेक कप्र 2 01 *(2002)	गरण ह उन्ह ल जे बाजन, जात 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
अभूती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के भूती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित के और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि का कि प्रस्तान के किए प्रस्तान के कि कि कि कि कि कि कि प्रस्तान के कि कि कि कि कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 कि (1) भारतीय आयुर्विज्ञान राजस्टर में राजस्ट्रीक त्वद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ राजस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान राजस्टर में राजस्ट्रीक होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (ज रसायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) सी एम.बी.बी.एस. या समतुल्य।	हारप्रय के म सीधे भ मियवित नीय र और शै व्यक्ति हिंगी य के ाठायमंग् मा प्राय्जायु : का श्रीक्षिव उप्रय क्ष हो स्वार्थ के व हिं तु मार्ज	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	भ सप लाक सवा आ क उकेगो नियमों की को <mark>छुमि</mark> नियमों की को <mark>छुमि</mark> के व्यक्तियों के लिए के व्यक्तियों के लिए आर्थ क्रि ग्रिज र्क याधारण केन्द्रीय सेवा समुद्र	स्विबद्ध करक अ इति स्वीक्स कि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदों की01 पदों की01 । ष्रेष्ठ क90 01*(2002) के जाधार	गरण ह उन्ह ल जे बाजन, जात 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
भगती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित तक और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि की कि के जुमूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व- विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीव होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (ज रसायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव,रसायन) स्री एम.बी.बी.एस. या समतुल्य। या व (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. या	होरप्रय के म सीधे भ मिन्द्रियक्ति गिर्मा व्यक्ति प्रि मिन्द्र्यक्ति होगी य के लहमफ मान् प्राय्आयु : काम् मिन्द्र्या काम् मिन्द्र्या कुत्त इप्र केव हित्त् पाइ सी.	प्रभाग स परमाश का ति किए जाने वाले यों के लिए विहित 3 यिंक अर्हताएं प्रोन्स यों की देशा में लागू गहीं उन्हीं उ अर्हताएं : हां 18600-500- 200-500-500 अर्ग येक स्व	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो नियमों की को <mark>फूमि</mark> नियमों की को <b>फूमि</b> के व्यक्तियों के लिए के व्यक्तियों के लिए प्राजी र्क याधारण केन्द्रीय सेवा समृढ राजपत्रित	।खबढ करक अ इस्र प्राय व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदं की01 । येह क0 । येह क0 1 * हाधार * कार्यास पर पर्गिवर्तन	गरण ह उन्ह ल ने बाकन, जाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
विश्व किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि और अन्य अर्हताएं कि की कि के जुमूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व- विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीव होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (ज रसायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव,रसायन) स एम.बी.बी.एस. या समतुल्य। या विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. या	होरप्रय के म सीधे भ मिन्द्रियक्ति गिर्मा व्यक्ति प्रि मिन्द्र्यक्ति होगी य के लहमफ मान् प्राय्आयु : काम् मिन्द्र्या काम् मिन्द्र्या कुत्त इप्र केव हित्त् पाइ सी.	विषय से परागत के लिए तो किए जाने वाले यों के लिए विहित उ कि उन्हेताएं प्रिन्त जनहीं 5 अईताएं : हां 18600-500- 1860 -500- 317 के लिप आयुगितान रनातकों के लिप	भ सप लाक सवा आ क उकेगो नियमों की को <mark>छुमि</mark> नियमों की को <mark>छुमि</mark> के व्यक्तियों के लिए के व्यक्तियों के लिए आर्थ क्रि ग्रिज र्क याधारण केन्द्रीय सेवा समुद्र	Nadas करक अ जो द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन स्वं की01 पद्वों की01 पद्वों की01 (1 व्रेक कु901) 2 2 के जायार किया जा किया जा	गरण ह उन्ह ल ने बाकन, जाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>के और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि मान्य कार्य के लिए प्रान्धि कि कि</li></ul>	सीधे भ सीधे भ मिय्यक्ति गिया और शै व्यक्ति हिंगी य के लाग की मिया मिया के लाग की मिया मिया के लाग की कि ना कि के न के न के न के न के न के न के न के न	विषण स परागत को के विष प्राप्त को के लिए विदिस के उन्हेंबिरे प्राप्त के कि उन्हें के देशा में लागू वित्त ने प्राप्त के कि के रिक्र के प्राप्त के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	।खबढ करक अ इस्र प्राय व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदं की01 । येह क0 । येह क0 1 * हाधार * कार्यास पर पर्गिवर्तन	गरण ह उन्ह ल ते बाक्यन, जाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>के और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि मान्य कार्य के लिए प्रान्धि कि कि</li></ul>	सीधे भ सीधे भ मिय्यक्ति गिया और शै व्यक्ति हिंगी य के लाग की मिया मिया के लाग की मिया मिया के लाग की कि ना कि के न के न के न के न के न के न के न के न	विषय से परागत के लिए तो किए जाने वाले यों के लिए विहित उ कि उन्हेताएं प्रिन्त जनहीं 5 अईताएं : हां 18600-500- 1860 -500- 317 के लिप आयुगितान रनातकों के लिप	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	Nबर्द्ध करक अ जो द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन स्वंध में समय पदों की01 पदों की01 । क्वेक कप्र के जायार के जायार जित्या जा है। है।	गरण ह उन्ह ल ती बाल्यन, उनाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>के और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि और अन्य अर्हताएं</li> <li>कि जान कि कानिस्ता के कि कि कि</li> <li>कि जान कि कानिस्ता के कि कि कि</li> <li>कि जान कि कानिस्ता के कि कि कि</li> <li>कि त्यायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) सी एम.एस. (चिकित्सा जैव रसायन)/डी.एम.सी. (जैव रसायन) समयताया कि कि</li></ul>	मार्गे के म सीधे भ मिन्द्राक्त गिन्द्रा और शै देव्यक्ति हिंगी य के मार्गे और शै देवे मार्गे के मार्गे में शैक्षिक इन्द्र का मार्गे के मार्गे में शैक्षिक इन्द्र का मार्गे के मार्गे में शैक्षिक इन्द्र का मार्गे के मार्गे में शैक्षिक के मार्गे में शैक्षिक के मार्गे में शिक्षक के में से सार्गे में शिक्षक के में सित्र के मार्गे में सित्र के में सित्र के में सित्र के में सित्र के में सित्र के सित्र के में सित्र के मे सित्र के में सित्र के में सित्र	विषण स परागत को के विष प्राप्त को के लिए विदिस के उन्हेंबिरे प्राप्त के कि उन्हें के देशा में लागू वित्त ने प्राप्त के कि के रिक्र के प्राप्त के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए के रिक्र के लिए	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	Nadas करक अ ज्या द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन न्य विशेष प्रवर्ग पदों की01 पदों की01 । क्वेक कप्र के जाधार पर परिवर्तन जा सकता	गरण ह उन्ह ल ती बाल्यन, उनाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>क्षे भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>क्षेत्र अन्य अर्हताएं</li> <li>को जन्य अर्हता परिषद अधिनियम, 1956 (1956 क 102) को अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व- विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ राजस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीव होना चाहिए।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (प रसायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) र्सा एम.बी.बी.एस. या समतुल्य।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. (चिकित्सा जैव रसायन) या समतुल्य।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच. (चिकित्सा जैव रसायन)/डी.एस.सी. (जैव रसायन) समतुल्य।</li> </ul>	मार्ग के म सीधे भ मिन्द्र वित मिन्द्र और शै व्यक्ति हिंगी य के मार्ग और शै के मार्ग में हो मार्ग में हो मार्ग में के के हिंतु पाइ सी. दी. या का	विषण स परागत को के विष प्राप्त को के लिए विदिस के उन्हेंबिरे प्राप्त के कि उन्हें के देशा में लागू वित्त न्यात के उन्हताएं : इा के स्टेन्स् वित्त के स्टेन्स् के सिल्को के लिप्त प्रान्टस-कंदी	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	Nबर्द्ध करक अ जे द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन स्वंध में समय पदों की01 पदों की01 । क्वेक कप्र के जायार के जायार जित्या जा है। है।	भारण ह उन्ह ल भी बाल्यन, जाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित</li> <li>क्षेत्र आर अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक और अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक और अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक और अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक और अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक में अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक में अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक में अन्य अहंताएं</li> <li>क्विक में अन्य अहंताएं</li> <li>किसी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 के 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व- विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञ राजस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीव होना चाहिए।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जिस्सा पायन)/एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) सी एम.एस. (चिकित्सा जैव रसायन) या समतुल्य ।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस. (चिकित्सा जैव रसायन) या समतुल्य ।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच. (चिकित्सा जैव रसायन) या समतुल्य ।</li> <li>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच. (चिकित्सा जैव रसायन)/डी.एस.सी. (जैव रसायन) समतुल्य ।</li> <li>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच. (चिकित्सा जैव रसायन)/डी.एस.सी. (जैव रसायन) समतुल्य ।</li> <li>(iii) किसी मान्यताप्राप्त करने के परचात् वृत्ति में 10 वर्ष प्व जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्वि</li> </ul>	हारुप्रय के नि सीधे भ नियक्ति नियक्ति नियक्ति हिंगी य का होर्गी य का होर्ग का नियम् कुत प्रय जैव हिं त <sub>ि</sub> पान सी. डी. या का ज्ञान	विषण स परागत को के विष प्राप्त को के लिए विदिस के उन्हेंबिरे प्राप्त के कि उन्हें के देशा में लागू वित्त न्यात के उन्हताएं : इा के स्टेन्स् वित्त के स्टेन्स् के सिल्को के लिप्त प्रान्टस-कंदी	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	Nबर्द्ध करक अ जे द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन स्वंध में समय पदों की01 पदों की01 । क्वेक कप्र के जायार के जायार जित्या जा है। है।	गरण ह उन्ह ल ती बाल्यन, उनाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,
<ul> <li>कार्यका कार्यका कार्य कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार कार्यका कार्यका कार्यका कार्य कार्यका कार्यका कार्यका</li></ul>	हारुप्रय के नि सीधे भ नियक्ति नियक्ति नियक्ति हिंगी य का होर्गी य का होर्ग का नियम् कुत प्रय जैव हिं त <sub>ि</sub> पान सी. डी. या का ज्ञान	विषण स परागत को के विष प्राप्त को के लिए विदिस के उन्हेंबिरे प्राप्त के कि उन्हें के देशा में लागू वित्त न्यात के उन्हताएं : इा के स्टेन्स् वित्त के स्टेन्स् के सिल्को के लिप्त प्रान्टस-कंदी	भ सघ लाक सवा आ कर सकेगो । जियमों को को <mark>फुमि</mark> नियमों को को <b>फुमि</b> के व्यक्तियों के लिग के व्यक्तियों के लिग उम्म धींफ़ि उम्म धींफ़ि साधारण केन्द्रीय स्वा समृद अननुसन्वित	Nबर्द्ध करक अ जे द्वारा जिलि व्यावृत्ति . — इन व्यावृत्ति . — इन स्वंध में समय पदों की01 पदों की01 । क्वेक कप्र के जायार के जायार जित्या जा है। है।	गरण ह उन्ह ल ती बाल्यन, उनाद 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 7,

गरा।वद्य. में होना चा। ्०भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924 (O STISNAD SHT

8	9	2	10	
टिप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघू लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिकितयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्यांज संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वॉछनीय : — इनडैक्स मेंडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।	16350-450- 18600-500- 20100 रू. आपूर्विजान रान्युविजान प्रेविस्टसबंदी भारत	साकारण वेत्वरेवं सेवा समुद क` गाउपतित अननुर्श्वविधीप	1 *(2002) *कार्यभार के आधार पर पण्तितंत किया जा सकता है।	पासार्य ( जैव सायन )
तागख को असम, मेग्वराग,	A general second second second	ومواجدت وأربيه والم	and the second	and the second second
वा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न सिर्णम <sup>ाभागभ</sup> प्रोन्नति/प्रतिनियुवि मद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता स्वतन्त्रज्ञ 11- कार्यने किंग्र किंग्री की प्रतिशतता	त्त/आमेलन किया ज 	ाएगा		
ानति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	र (जियके शंचर्पन	अलाकालिक गंदि	म भी है ।	
में गंगरे कि विमानार प्रॉट शिल्लामण्ड नियति में गंगरीले हुई गुरुसर कि कि स्थिति (ख) जिनके प हालम के प्रहलने कि कि हिंग लिए वि प्रातने कि कार्यार कि हिंग उपाचार्य की है	मेत सेवा की है; और गास स्तंभ 8 के अधी हेत शैक्षिक और अन ग्णी में ऐसे विभागीय	न सीधे भर्ती किए ज य अर्हताएं हैं। र अधिकारी पर भी 1	गने वाले व्यगि जिन्होंने उस श्रे	क्तुयों के णी में दो वर्ष_
	लिए चयन हो जाता	के साथ विचार किया है- तो उसे प्रोन्नति द्वा जो प्रोन्नति की सीधी	रा भरा समझा उ	and the state of the state of the state
			Appropriet 1 (a) with a farmer in	10 M
द्वारा नियक्ति के लिए	विचार किए जाने के	पात्र नहीं होंगे।	र आर्थुलेजन पंरि	तिनियुक्ति पर यक्ति प्रोन्नति <sup>11</sup> आजमम् (j)क
	विचार किए जाने के धे, जिसके अंतर्गत के 6 पहले धारित किसी र्ष से अधिक नहीं ह भी है) के लिए अधि	पात्र नहीं होंगे। न्द्रीय सरकार के उसी य अन्य काडर बाह्य प् गेगी। प्रतिनियुक्ति प पकतम आयु सीमा अ	गां किसी अन्य २ इ पर प्रतिनियुवि र नियुक्ति (ञि ावेदन प्राप्त कर	तिनियुक्ति पर यक्ति प्रोन्नति संगठन/विभाग क्त की अवधि तसके अंतर्गत ते की अंतिम
द्वारा नियुक्ति के लिए (प्रतिनियुक्ति की अर्वा में इस नियुक्ति से ठीव है, साधारणतया 5 व अल्पकालिक संविदा	विचार किए जाने के धे, जिसके अंतर्गत के 6 पहले धारित किसी र्ष से अधिक नहीं ह भी है) के लिए अधि	पात्र नहीं होंगे। द्रीय सरकार के उसी र अन्य काडर बाह्य प केगी। प्रतिनियुक्ति प कतम आयु सीमा अ	गां किसी अन्य २ इ पर प्रतिनियुवि र नियुक्ति (ञि ावेदन प्राप्त कर	तिनियुक्ति पर यक्ति प्रोन्नति प्राज्मार्थ (1) अ संगठन/विभाग क्त को अवधि तसके अंतर्गत ने की अंतिम
द्वारा नियुक्ति के लिए (प्रतिनियुक्ति की अर्वा में इस नियुक्ति से ठीव है, साधारणतया 5 व अल्पकालिक संविदा	विचार किए जाने के ध, जिसके अंतर्गत के ह पहले धारित किसी षे से अधिक नहीं ह भी है) के लिए अधि अधिक नहीं होगी।)	पात्र नहीं होंगे। द्रीय सरकार के उसी य अन्य काडर बाह्य पर केगी। प्रतिनियुक्ति प कतम आयु सीमा अ मन्द्रतीयों में संघ गणगा	ा विसी अन्य र इ पर प्रतिनियुदि र नियुक्ति (ृ विदन प्राप्त कर का एस स्पर्भ र नियुक्ति प्राप्त	तिनियुक्ति पर यक्ति प्रोन्नति प्राजपर (1)क संगुठन/विभाग क्त की अवधि तसके अंतर्गत ते की अंतिम नगाम्ज कि.मण्ड योग से
द्वारा नियुक्ति के लिए (प्रतिनियुक्ति की अर्वा में इस नियुक्ति से ठीव है, साधारणतया 5 व अल्पकालिक संविदा तारीख को 56 वर्ष से	विचार किए जाने के ध, जिसके अंतर्गत के ह पहले धारित किसी षे से अधिक नहीं ह भी है) के लिए अधि अधिक नहीं होगी।) भर्ती करने में कि परामर्श किया ज	पात्र नहीं होंगे। द्रीय सरकार के उसी य अन्य काडर बाह्य पर केगी। प्रतिनियुक्ति प कतम आयु सीमा अ मन्द्रतीयों में संघ गणगा	ा आर्थेक्वात पंस मुक्स अन्य र द्र पर प्रतिनियुदि प्रियक्ति (जि विदन प्राप्त कर जा एस गग (F जा एस स्वा लोक सेवा आ मान्यतायाल	तिनियुक्ति पर यक्ति प्रोन्नति प्राजमार्ग् (i)क संगठन/विभाग तत की अवधि तसके अंतर्गत ने की अंतिम नगाफ विग्ने (i)छ निन्ने (i)छ

—सदस्य

II स्नातकोत्तर अहंता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता

वर्षे का शिक्षण अनुभन्न।

में किसी मान्यतप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिक्षण संस्था

में सहायक आचार्य/ज्येप्व प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5

 1. गृह सचिव, चंडोगढ़ प्रशासन
 —अध्यक्ष

 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन
 —सदस्य

 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल,

चंडीगढ

[ भारों [I-खण्ड 3(i)]

# [PART II—SEC. 3(i)]

# THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

1	2	3	4	5	6		The second s
1 पाचार्य (जैव सायन)	र 1*(2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	4 16350-450- 18600-500- 20100 रु. और केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए प्रैकिटसबंदी भत्ता	लागू नहीं होता संस्थार संस्यार संस्यार संस्यार संस्थार संस्यार संस्यार संस्थार संस्थार संस्थार संस्थार संस्थार संस्थार संस्यार संस्यार संस्यार संस्यार संस्यार स्यार सार स्यार सार स्थार स्यार स्यार स्यार स्थार स्यार स्यार स्यार स्थार स्यार स्	सरकार द्वारा ज अनुदेशों या अनुसार 5 वर्ष की जा सकती है टिप्पण : आयु- करने के लिए भारत में अभ्यर्थिन करने के लिए नि तारीख होगी। ( तारीख होगी। ( तारीख होगी। ( तारीख होगी। ( तारीख जो अ अरूणाचल प्र मणिपुर, नागालैंड जम्मू-कश्मीर रा हिमाचल प्रदेश स्पीति जिले तथ पांगी उपखंड	के लिए र रो किए आदेशों तक शि ।) सीमा अ निर्णायव यो से आवे यो से आवे यो के ना देश, गि ; त्रिपुरा, ज्य के लाह के लाह ग चम्बा- , अंदम , तथा ल	केन्द्रीय गए के शिल शिल वधारित 5 तारीख दन प्राप्त ई अंतिम इ अंतिम हे जिले के ति और जिले के
		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		ार्ग के (()(म (फ़ल्मि)) क्यान्स् कार्यक्रमी (ह) कार्यक्रमी (ह)		ज्येष्ठ प्र आचार्यों व ख्या इन संख्या	ाध्यापकों, ती श्रेणी में श्रेणियों में के पचास
<u></u>	and the second		वी पेस विश्वमांत जाल स्वीक्रमंद्री				
	Service of the Service	the store of the	A new property	9	all and the second s	100 - 100 - 10 Think	10
2 7 7	ः गारतीय आयुर्विज्ञान प ही अनुसूची में ग समतुल्य अर्हता ग भारतीय आयु	परिषद अधिनियम, 19	56 (1956 का 102) मूल विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान रजिस्टर रजिस्ट्रीकृत होना	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता	प्रिं : हां जेवित कार्यके		मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों ए एक वर्ष।
	वाहिए।	विश्वविद्यालय/संस्	था से एम.डी. (जैव	ile ordine di <mark>n</mark> Also ile i sit <mark>a</mark>			
(ii) f	(सायन)/एम.एस रम.बी.बी.एस. य	.सी. (चिकित्सा उ ग समतुल्य। या	तव (सायन) साहत	an and a second the		Mijerve t	विश्वामीन प्रोलॉन त्रांचन हे. ल
(il) f ন অ(i) f	(सायन)/एम.एस रम.बी.बी.एस. र किसी मान्यताप्राप (चिकित्सा जैव र	.सी. (चिकित्सा उ या समतुल्य। या त विश्वविद्यालय/सं सायन) या समतुल्य।	तव रसायन) साहत संस्था से एम.एस.सी	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-1.pove 1	वियामान प्रोलात गणित है. त

 (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पा.एच.डा. (चिकित्सा जैव रसायन)/डी.एस.सी. (जैव रसायन) या समतुल्य।

स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

2. सचिव, आयुलिजान छिक्षा और अनुसंघान, नांदीमज प्रयाहन

प्रधानांचार्य, परचार्यी आणण्डीताल महाविदालय और आएग त.

- इग्रह

। गृह माँउल, लंबीसल, प्रश्नम

यभिति :

भाग 11—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : फरवरी	10, 2000, 11, 20,		378
टेप्पण 1 : — अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ तोक सेवा आयोग के विवेकानुसार की जा सकती हैं। टेप्पण 2 : — अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : — इन्डेक्स मेंडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।	0000-0000 021-000 होड उ ठरावा गहरीकुम्ब एको की जिल्लाक प्रका 87-000	्याषारम् सन्द्राय त्रोक्त समूह ' क' सन्दर्भाषत सन्तर्भुष्ट	学(定)
(ค.ศ. 1.573) (ค.ศ. 1977) ค.ศ. 1.573 11 <sup>ค.ศ.</sup> 1.5756 ค.ศ. 1976	12		 ere en

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
  - (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।

II. ज्येष्ठ प्राध्यापक की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

12	14 Part - Control - 14 Part - Control - Contro
10	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति	आवश्यक है। का का का किस्ती का एक का किसी (i)
प्रमितिः 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन — अध्यक्ष	<ul> <li>(「中市の二」「オタキを使い」」の「日本ので」</li> <li>(4)) 「年の」 に、「オタキを使い」」の「日本ので」</li> </ul>
जिल्ला जार्यातीचान शिक्षा और अनसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य	
2. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल,	শিৱস্থিন। (iii) লাবনাল্য ক্লেবা স্কৃত নাল লাবলা দেশে ব্যক্তি বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয়
चंडीगढ़	
<ol> <li>संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी</li> <li>संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य</li> </ol>	को तम्सा में जा जानक सन्दित संग्रीतमा है। भारत निरुत क हरे। भूसको तम स. ३. भार का विद्याल का भारत

THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924	
--	--

[PART II-SEC. 3(i)]

1	2	3	4		6	8	7
ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन)	01*(2002) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400- 15900-450- 18150 रु. और केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता	ह सेचा आनेग तन आतियों क त्वन के जिसी त्रिमा आर्थका	सरकारी सेवकों के सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या अनुसार 5 वर्ष	लिए केन्द्रीय किए गए <sup>15 क</sup> आदेशों के प्र तक शिथिल	टिप्पण डिंग — अहत लोक सेवा आयोग के टिप्पण 2: — अनुभ के विवेकानुसार अन् अभ्यर्थियों की दशा मे प्रक्रम पर संघ लोक से अभ्यर्थियों के पर्याप्त बांछनीय: — इन्देस से कम चार अनुसंधा
					अभ्यार्थयां से अ करने के लिए नि अंतिम तारीख हो वह अंतिम तारीख	ायत की गई गी। (न कि	
		राज्य श्रेचे कानुने प्रसिक्तने सनेन पर आग्य जि ए के या व्यक्तन्व स्वीन सीथे भर्ने पिर इस्ट्रेसाई है।	र/राज्य सारकारी/होत्र वृष्यों के असील ऐते - निर्यासने आकार पर व्याने 14300-18300 प्रसिद्ध सेवा के है - जे रुस योखिक ओर अंग अल	করায় মাকে अनुसंधान संघ (क)(() को (a) वि (ख) বি र्ग	मेघालय, अरुणा मिजोरम, मणिपुर त्रिपुरा, सिक्कि कश्मीर राज्य के हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले तथा के पांगी उपखंड, निकोबार. द्वीप र के अभ्यर्थियों के की गई है)।	्रोनागालेंड, जो ) म, किम्मू – कि लद्दाख खंड, लाहौल और चम्बा–जिले अंदमान और ाथा लक्षद्वीप	प्रोन्नसि/प्रतिनियुग्तित । संबिदा भी हैं ) जिसबे द्वारा ।
		श्वयों के रवल लिया एत है के उसे प्रेन्स , जी प्रोन्स्ति को द्वयो र ब नहीं ब्रोन्स् । इसी र	स भी क्षेत्री में ऐसे दि स्वा को ते जावय ज्या 1 के लिए चलन दा उ मिपागील जीभवाग कार किए जाने के पा	वर्ग नियमित ग पर पर नियुक्ति पिक प्रयमें के ऐसे युक्ति के लिए लि	टिप्पण 1 : अर्हताओं वाले उपाचार्यों और अ शिक्षकों की संख पदों की कुल प्रतिशत से अधिव	ज्येष्ठ प्राध्यापक ाचार्यों की श्रेणी य़ा इन श्रेणियों	Ì, में में

PUR वर्षातन के दिया जिल्ला के पाने के पाने के जान राजे के

R	an anna an an Alban Anna An Ar		10
आवश्यकः	य आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102	लागू नहीं होता	एक वर्ष
की अ समत	न्नुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या न्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या	मागित्र को हर कर	
1क.(ii) किसी	य आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	रसायन)/ एम.एस.सी. (चिकित्सा जैव रसायन) सहित		GI [
	ो.बी.एस. या समतुल्य। या	मुह 'क' विभागीय प्रोनति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए स समिति :
ख(i) किसी (चि	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.एस.सी. कत्सा जैव रसायन) या समतुल्य।	NIGE	<ol> <li>गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन</li> </ol>
(ii) किर्स	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.	, चंडीगढ़ प्रशासन-महाय	2. सचिव, आयुविंज्ञान शिक्षा ऑर अनुमंधान
(चि समतु	कत्सा जैव रसायन)/डी.एस.सी. (जैव रसायन) या		<ol> <li>प्रधानाचार्य, सरकारी आयुधिज्ञान महाविद्य चंडोगढ</li> </ol>

म. संबंधित विभाग का आनावे और विभागध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़

- (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/परिदर्शक/ ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

11

भारत को राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

9

टिप्पण 1 : अईताएं, अन्यथा सुअहिंत अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यधियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

	12	e inniner min ia apele
सी थी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	inor normalization port

प्रत्येक अवसर पर सैंध लोक सेवा आयोग से परामर्श करना पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्ति आवश्यक है। -अध्यक्ष 1. गृंह सचिव, चंडींगढ़ प्रशासन सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन -सदस्य प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, -सदस्य 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी

-सदस्य

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंड़ीगढ़

[फा. सं. वी-24011/8/2002-एम ई डेस्क-11]

10

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

#### New Delhi, the 30th January, 2003

G.S.R. 71.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :---

1. Short title and commencement .---(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 20021 (2003)

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.-The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.---The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

Disqualification .- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

314 GI/03-4

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

[PART II-SEC. 345

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard. SCHEDULE

une of post	Number of post	Classification	Scale of pay is the state of the
Arres or breeze	2	3 1 10 10 10 10 10	
Professor (Biochemistry)	01* (2002) *Subject to variation dependent on worklo	General Central S Group 'A' Gazett ad Non-Ministerial	ervice Rs. 18,600-500-22,100/- ed plus Non-practicing bit of Here Allowance only for Medical Graduates
hether selection by merit selection-cum-seniority Non-selection post	Age limit for dire	ect recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6	lai an Information an ann a	
lot applicable	in accordance with the by the Central Govern Note : The crucial data shall be the closing from candidates in prescribed for the Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, L Kashmir State, Lah sub-division of Char Andaman and Nice Note 1 :The stree	rnment servants upto five , he instructions or orders is nment). ate for determining the age date for receipt of applica India (and not the closing ose in Assam, Megha Mizoram, Manipur, Naga adakh Division of Jamm aul and Spiti district and nba district of Himachal Pro- obar Islands or Lakshady ngth of teachers in the gr adaer and Professors wit	aland, u and alimit alions g date alaya, aland, u and baland, u and baland Pangi adesh, weep). rade of h non-
basic	medical qualification total number of Note 2 :In the designated as Hea with recognized 6 qualification or en	ons shall not exceed 30% of posts in these g event of post of Profes d of Department, only te asis)University Medical I quivalent qualification sl	rades. ssor is eachers backers Degree company and company back hall be
basic	medical qualification total number of Note 2 :In the designated as Hea with recognized by qualification or en	ons shall not exceed 50% of posts in these g event of post of Profes d of Department, only te asis University Medical I quivalent qualification sl	rades. rades. ssor is eachers Degree concentration (Diochers Degree concentration of the and concentration of the hall be (Riccher Link, State and concentration of the hall be
Educational and other qua required for direct recruits	medical qualification total number of Note 2 :In the designated as Hea with recognized (b qualification or en- appointed to the p alifications W s ed tic di ar	hether age and Point of the point of the point of posts of profess of the post of the profess of the post of the p	rades. ssor is eachers Degree hall be riod of robation if any difficult and each of the solution (2) eriod of robation if any difficult and each of the solution (2) Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
Educational and other quarter direct recruits	medical qualification total number of Note 2 :In the designated as Hea with recognized (b qualification or en- appointed to the p alifications W s ed tic di ar	ons shall not exceed 30% of posts in these gr event of post of Profes <u>d of Department</u> , only te asis)University Medical I quivalent qualification sl ost. hether age and Pe ucational qualifica- pons prescribed for rect recruits will oply in the case of comotees	rades. ssor is eachers Degree hall be robation if any Method of recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled

# [मार्ग] भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

(8)		
<ul> <li>A.(ii) M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Medical Biochemistry) from a recognized University/Institution or equivalent. OR</li> <li>B.(i) M.Sc. (Medical Biochemistry) from a recognised University or equivalent.</li> <li>B (ii) Ph.D. (Medical Biochemistry)/D.Sc. (Biochemistry) from a recognized University/Institution or equivalent.</li> <li>II. Ten years experience in the profession after acquiring postgraduate qualification, out of which four years should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.</li> <li>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</li> <li>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/</li> </ul>	Acta in the grade will each consisters. In Coar- measure to the grade the base pream filled by promotion shall not be offer treponitation will estationists ; high ned be attaionists ; high ned be attaionists ; high ned be attained by attain an building period attained partment in paraminand epartment paraminand epartment paraminand epartment paraminand partment paraminange humit for paraminange humit for paraming fitty say your, ag acting fitty say your, ag	<ol> <li>The Departmental Officer with two years regular sets also be constituted alongs he/she is selected for appping same shall be deemed to promotice.</li> <li>The Departmental Officer who are particulared for officer eligible for consideration depitation. Similarly, dep eligible for consideration in [Period of Deparation/Contect in held immediately proceed for the Certical Governmen of the Certical Governmen expositment by depitation appointment by depitation on the closing date of the r</li> </ol>
are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of	<ul> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li> <li>(8)</li> <li>(9)</li> <li>(10)</li> <li>(10</li></ul>	
in case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
<ul> <li>Promotion/Deputation (including Short-term Contract)</li> <li>Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Auto- nomous Organizations/Research Institu- tions :</li></ul>	College and Hospital, according a Chandigarh—Member arthru SCH, decel ai benetzige	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

## THE GAZETTE OF INDIA: FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26, 1924

T AN

100

[PART II-SEC. S.I)]

A.(ii) M.O. (Biococciency) and A.(ii) A. (Medhad) - Utachemistery - (tam

B (I) M See (Meaner anothenmere) from a recommed University of equivalent B (iii)Ph D (Medical P) (In the matrix 11) Se (B for hemistry) from a contractor University for basing a contractor.

the Union Public hervice Commission in cars of conditions otherwise in qualified. Note 2:

### (12)

The Departmental Officer in the grade of Reader with two years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application].

on the crossing dute of the	receipt of application].	and the second	regardances	The qualification()
(1)	(2)	(3)	(4)	and an anna aidir.
2. Reader (Biochemistry)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	20100/- F Allowand Graduate	
	the second second second	2013年1月1日(1914年1月1日) 1915年1月1日(1914年1月1日) 1915年1月1日(1914年1月1日)		candidates from the
(5)	(6)		(1)	the requisite expansion and the second se
Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Governmen in accordance with the inst by the Central Government Note-1. The crucial date for shall be the closing date for from candidates in India ( prescribed for those in Arunachal Pradesh, Mizon Tripura, Sikkim, Ladakh Kashmir State, Lahaul an Sub-division of Chamba dis Andaman and Nicobar Isla Note-The strength of teach Lecturers, Readers and Pro qualifications shall not e number of posts in these	ructions or orders issued t). determining the age limit or receipt of applications and not the closing date on Assam, Meghalaya, ram, Manipur, Nagaland, division of Jammu and d Spiti district and Panji strict of Himachal Pradesh, ands or Lakshadweep. hers in the grade of Senior fessors with Non-Medical exceed 50% of the total grades	at real Journal In International In International International International International Sciences Bas	Desirable : Minicutan four Rese Minicutan four Rese Research Publication In case of coordiner absorption crade fi deparation absorption deparation absorption (1997) Continet Continet Continet Continet Continet Continet Continet Continet Continet Continet Continet

	(9)	100 (10) as a min rugs	olses (11) lori (1) (1)
(8) sential: (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.		One year for direct recruits.	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

#### भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/माघ 26, 1924

### খনগা—ৰাজ্য 3(i)]

A(ii) M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Medical Biochemistry) from a recognized University/Institution

OR

- B(i) M.Sc. (Medical Biochemistry) from a recognised University or equivalent. B(ii) Ph.D. (Medical Biochemistry)/ D.Sc. (Medical Biochemistry) from a
- recognised University/institution or (ii) Five years teaching experience in the
  - concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Assistant Professor/ Senior Lecturer/ Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution.

Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing experience are not likely to fill up the posts reserved fo

Minimum four Research indexed in Index Med

(12)	(13)		(14)
<ul> <li>Promotion/deputation (including short term contract):</li> <li>(1) Officers of Central/ State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :</li></ul>	<ul> <li>Chandigarh Administration</li> <li>2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration</li> <li>3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh</li> <li>4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical</li> </ul>	Chairman Member Member Member	Consultation with Union Public Service Commissions necessary on each occasion.

383

will also be considered along with

another execute post bold investigations

or some other organization acpariment of the Centrel Covernment, shall ordinarily not excessively our the maximum age had for appoint real deputation (in the are share been

contines) shall be real excession of ity are years as an they being delet of receipt of

#### (12)

The Departmental Officers in the (ii)grade of Senior Lecturer with two years' regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to

period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)	will also be conside the outsiders. In ca selected for appoin post, the same shall have been filled by	ase he/she is ntment to the l be deemed to promotion.	contequity alents emistry (), C S2 SDV) (From a	M.Sc. (Medical Bioch récognised University Ph.D. (Medical Bioch (Medical Biochemi recomised University	
(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)	ategory who are in the promotion shall not b consideration for app deputation. Similarly, shall not be eligible for co appointment by promotion	direct line of e eligible for pointment on deputationists onsideration for on.	perione in the tite, acquiring iffication as bhior Lectmen izes Medical	equivalent. Five yents teaching ex concerned speciality i postgraduate on it Assistant Professor S Lecturer fin a recourt	(ií)
	period of Deputation another ex-cadre post he preceding this appointm or some other organizat of the Central Gove ordinarily not exceed f maximum age limit for deputation (includin contract) shall be not ex- years as on the closing d	I/Contract in Id immediately ent in the same ion/department rnment, shall five years. The appointment by ig short term ceeding fifty six	t the discretion commission in well grainfied of the Umon in the case of bothe Service that sufficient from these both test that sufficient be recursite	1: ications are relaxable a lication Public Service ( frandidates of the wise frandidates of the wise arabla at the discenter service Commission filtes betonglog to the or the Schedulet Jith Ession i of the optimon the and idates in al candidates	Note 1 Qualif of the i case of Note 2 The qual Public Candfil Candfil Commi Commi commi
(1)(2)(3)(4)3. Senior Lecturer (Biochemistry)01* (2002)General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-MinisterialRs. 14300-400-15900-450- 18150/- PLUS Non-practise Allowance only for Medic Graduates.	3. Senior Lecturer	01* (2002) *Subject to variation	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14300-400-15900-4 18150/- PLUS Non-pr Allowance only for M	150- ractising 1edical
	(5)	(6)			Sector Sector
(5) (6) (7) (1)	Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Governmer in accordance with the ins by the Central Governmen Note 1 : The crucial date fo shall be the closing date f from candidates in India	nt servants upto five years tructions or orders issued t.) r determining the age limit for receipt of applications (and not the closing date n Assam, Meghalaya, ram, Manipur, Nagaland, n division of Jammu and	ow/deputation (in oN rue contract) : ets of Central/ State C erritories/Statetory Is utors Organizations/P ms : utar basi. of the oyear's together se ts in the scale of	<ul> <li>Iterr (cr</li> <li>I) Office</li> <li>Inion T</li> <li>utozon</li> <li>utozon</li> <li>stitutic</li> <li>(i) ho</li> <li>reg</li> <li>(ii) witt</li> </ul>

Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep). Note 2 : The strength of teachers in the grade of Senior

number of posts in these grades.

Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical bas Isroithouths and emissered (d) qualifications shall not exceed 50% of the total beditosora anoitsoffalaup roho

384

Ess I-A

A

.

[भा

(mi

[PART II-SELS(i)]

or equivalent.

A(ii) M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Medical Biochemistry) from a

ि जण्ड 3(i) }	भारत क	राजपत्र : फरवरी 15, 200 (9)	03/माघ 26, 1924 (10)	(11)
tial:		Not applicable	One year	Direct recruitment
A basic Universi	ty or equivalent			
qualification inclu	ded in any one of			
the Schedules to the Council Act, 1956	(102 of 1956) and			वर्षात अवस्थित २२ जीवेंद्र वर्ष क्लो वावन सम्बद्ध होर जोटेकी (जन्मती प्रमुद्ध
must be registered	in a State Medical			
Register or Indian	Medical Register;			
M.D. (Biochemis	stry)/MBBS with	的成为了中华个小平平的		- व्यागगांध मन-इन्होंने जे
M.Sc. Medical Bio	ochemistry) from a			more treatment (* 1919)

recognized University/Institution OR

sent A(i)

A(ii)

B(i) M.Sc. (Medical Biochemistry from a recognized University/Institution or

B(ii) Ph.D. (Medical Biochemistry)/ D.Sc. (Medical Biochemistry) from a recognised University/institution or

(ii) Three years' teaching experience in the concerned speciality after acquiring postgraduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching

Note 1-Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2-The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

3

4

(14) Consultation Group 'A' departmental promotion with Union Committee (for considering confirmation): Not applicable Public Service 1. Home Secretary, Commission is -Chairman - Chairman Chandigarh Administration necessary. Secretary, Medical Education and -Member Research, Chandigarh Administration Brasil Finally

Principal, Government Medical

College and Hospital, Chandigarh

Department of Government Medical

College and Hospital, Chandigarh

A Learnage

\_\_Member Professor and Head of the concerned

#### -Member

सरकार द्वारा इस सबाथ ते स्वण्य-प्रभाव पर जिल्हाले हैं।

[No. V-24011/8/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

TRAFT'S

[PART II-SEC.3(i)]

# New Delhi, the 8th September, 2004

**G.S.R. 320.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 63, dated the 29th January, 2003. नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 321.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में,

- (क) उक्त नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।
- (ख) उक्त नियम की अनुसूची में (i) क्रम सं. 1 में वर्णित पद के सामने, स्तंभ 6 के अधीन, ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''आधारी'' शब्द रखा जाएगा।
- (ii) क्रम संख्या 3 से संबंधित पद के सामने, स्तंभ 8 के अधीन अंकों ''(ii)'' के स्थान पर ''(iii)'' अंक रखे जाएंगे।

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-Ⅱ] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 71, तारीख 30 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

#### New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 321.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002;

- (a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.
- (b) In the said rules in the schedule, (i) against the post appearing at serial number, 1, under column 6, for the word "basis", the word "basic" shall be substituted; (ii) against the post appearing at serial number 3, under column 8, for the figure "(ii)" the figure "(iii)" shall be substituted.

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note: The principal rules were published vide number G.S.R. 71, dated the 30th January, 2003.